

राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नस्रतारण आयोग

चरुा में कर्यो?

हरयिाणा के कसिानों को भारतीय कसिान उरुवरक सहकारी लमिडिड (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited-IFFCO) द्वारा लगभग 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इफको द्वारा कसिानों को गवार के खराब बीज बेचे जाने के कारण यह कषतपूरती दी गई है, इन खराब बीजों के कारण कसिानों की 70% फसल नषट हो गई थी। कसिानों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता वविाद नविारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC) में अपील दर्ज कराई थी जिसके प्रतयुत्तर में यह नरिणय लिया गया है।

पृषठभूमि

- यह उपभोक्ता वविादों के मतिययी, शीघर और संकषपित नविारण प्रदान करने के लिये स्थापति किया गया था।
- यह भारत का एक अरुद्ध-न्यायिक आयोग है जिसिे वरष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 1986 के तहत स्थापति किया गया था।
- इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आसीन या सेवानवृत्त जज द्वारा की जाती है।

अधनियिम के प्रावधान:

- उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम (Consumer Protection Act), 1986 की धारा 21 में प्रावधान है कि एनसीडीआरसी के अधिकार कषेत्र में नमिनलखिति को शामिल किया जाएगा:
- एक करोड से अधिक मूल्य की शकियात का नविारण करना; राज्य आयोग या ज़िला स्तरीय मंच के आदेश से अपील एवं पुनरीक्षण कषेत्राधिकार के अनुरूप कार्य करना।
- **उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम (Consumer Protection Act), 1986 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ती जो NCDRC के आदेश से संतुषट नहीं है, 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।**
- इस अधनियिम के प्रावधानों में 'वस्तुओं' के साथ-साथ 'सेवाओं' को भी शामिल किया जाता है।
- **अपीलीय प्राधिकारी (Appellate authority):** यदि कोई उपभोक्ता ज़िला फोरम के नरिणय से संतुषट नहीं है, तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है। राज्य आयोग के आदेश के खलिाफ उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है।